

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF
INDIA

प्रधान मंत्री जन धन योजना
के तहत जन-धन खाताधारकों
के लिये रु.30,000/- के
जीवन बीमा सुरक्षा के
दावा निपटारा हेतु प्रक्रिया - परिशिष्ट

PRADHAN MANTRI JAN DHAN
YOJANA
(PMJDY)

ADDENDUM - PROCEDURE FOR CLAIM
SETTLEMENT
UNDER LIFE INSURANCE COVER OF
Rs.30,000/- FOR PMJDY ACCOUNT HOLDER

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा-संशोधन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के पत्र दिनांक 20.04.2015 संदर्भ: एफ नं. I-13016/01/2014-Ins.I के अनुसार, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा में निर्दिष्ट मूल नियमों और शर्तों की स्वीकृति/संशोधनों के संबंध में, संशोधित नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. पीएमजेडीवाई के दिशानिर्देशों एवं विशेषताओं के अनुसार, अपात्र श्रेणी पैरा के अंतर्गत एक अपात्र श्रेणी का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, "अन्यथा रूप में पात्र खाता धारक, जिनके पास खाते में बैंक की किसी भी अन्य योजना के तहत जीवन बीमा है, उन्हें दोनों में से किसी एक योजना को चुनना होगा और किसी एक के लाभ प्राप्त करने होंगे"।

संशोधन :- यह निर्णय लिया गया है कि पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत सदस्य को कवरेज देने से मना नहीं किया जा सकता है; यदि सदस्य ने उसी बैंक खाते से लिंक किसी भी अन्य बीमा लाभ को प्राप्त करने के लिए स्वयं पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो।

2. पीएमजेडीवाई का संयुक्त खाता होने की स्थिति में, यदि प्राथमिक खाता धारक रु. 30,000/- के जोखिम कवर के लिए अपात्र है तो फिर क्या रु. 30,000/- के जोखिम कवर को दूसरे खाता धारक के लिए विस्तारित किया जा सकता है, यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता/करती हो?

संशोधन :- यह निर्णय लिया गया है कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत संयुक्त खाता होने की स्थिति में, यदि प्राथमिक खाता धारक रु. 30,000/- के जोखिम कवर के लिए अपात्र है तो फिर रु. 30,000/- के जोखिम कवर को दूसरे खाता धारक के लिए विस्तारित किया जा सकता है बशर्ते वह जीवन बीमा की पात्रता शर्तों को पूरा करता/करती हो।

3. योजना का विस्तार: पहले यह योजना 15.08.2014 से 26.01.2015 की अवधि के लिए खुली थी

संशोधन :- अब योजना को 31.01.2015 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

4. यह संभव है कि खाता खोलने के दिनांक पर (15 अगस्त 2014 से 25 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते), खाता धारक की आयु 18 वर्ष ना हो लेकिन उसके पश्चात (16 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच) 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो"। यदि सदस्य बाद में 26.01.2015 से पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तो क्या उसे प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा कवरेज में शामिल किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं।

संशोधन: - यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई अवयस्क 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच खाता खोलता है तो उसे 15.08.2014 से 26.01.2015 की अवधि (जिसे अब 31.01.2015 तक बढ़ा दिया गया है) के भीतर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन बीमा कवर के लिए पात्र माना जाना चाहिए

5. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन बीमा की मूल पात्रता शर्तों में निम्नलिखित संशोधनों की स्वीकृति दी गई है :-

i) **मूल स्थिति:-** 15.08.2014 से 26.01.2015 के दौरान, या भारत सरकार द्वारा आगे विस्तारित किसी भी अतिरिक्त अवधि में, RuPay कार्ड के साथ पहली बार खाता खोलने वाला व्यक्ति।

संशोधित पात्रता की शर्त: - 15.08.2014 से 31.01.2015 के दौरान, या भारत सरकार द्वारा आगे विस्तारित किसी भी अतिरिक्त अवधि में, RuPay कार्ड धारक व्यक्ति जो पहली बार खाता खोल रहा हो।

ii) **मूल स्थिति:-** व्यक्ति आमतौर पर परिवार का मुखिया अथवा परिवार का कमाने वाला सदस्य होना चाहिए और उसे 18 से 59 आयु वर्ग का होना चाहिए (यानी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए)। यदि परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, तो परिवार का कमाने वाला दूसरा व्यक्ति जिसकी आयु उपरोक्त आयु वर्ग में है, उसे पात्रता के अधीन कवर किया जाएगा।

संशोधित पात्रता की शर्त:- व्यक्ति परिवार का सदस्य होना चाहिए और वह 18 से 59 आयु वर्ग के बीच का होना चाहिए (यानी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए) और बैंक खाता रखने जैसी पात्रता की सभी अन्य शर्तों की पूर्ति करनी चाहिए।

iii) **मूल स्थिति:-** व्यक्ति के पास बैंक खाते से लिंक किया गया या वह पहले से नहीं हो तो बैंक खाते से लिंक होने की प्रक्रिया में शामिल एक RuPay कार्ड तथा बायो-मीट्रिक कार्ड होना चाहिए।

संशोधित पात्रता की शर्त:- व्यक्ति के पास बैंक खाते से लिंक किया गया या वह पहले से नहीं हो तो बैंक खाते से लिंक होने की प्रक्रिया में शामिल एक RuPay कार्ड तथा बायो-मीट्रिक कार्ड होना चाहिए। हालांकि, इस शर्त के कारण किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

iv) **मूल अस्वीकार:-** परिवार के केवल एक सदस्य को ही बीमा योजना में कवर किया जाएगा और व्यक्ति के पास एकाधिक कार्ड/खाते हों तो लाभ की अनुमति केवल एक ही कार्ड के अंतर्गत दी जाएगी यानी पात्रता की शर्तों के अनुसार प्रति परिवार एक व्यक्ति को ही रु. 30,000/- का एकल कवर मिलेगा।

संशोधित पात्रता की शर्त: - यदि व्यक्ति के पास एकाधिक कार्ड/खाते हों, तो लाभ की अनुमति केवल एक ही कार्ड के अंतर्गत प्रदान की जाएगी यानी पात्रता की शर्तों के अधीन एक व्यक्ति को ही रु. 30,000/- का एकल कवर मिलेगा।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सभी अन्य नियम और शर्तों के साथ ही दावे के निपटारे की प्रक्रियाएं मूल दावों की प्रक्रिया के अनुसार अपरिवर्तित बनी रहेंगी।